

## Compliance Report on Business Reform Action Plan 2016: Bihar

**Recommendation No.-247- Allow for synchronized/joint- inspection under all of the following acts**

**I. Inspection under The Equal Remuneration Act, 1976**

**II. Inspection under The Factories Act, 1948**

**III. Inspection under The Maternity Benefit Act, 1961**

**IV. Inspection under The Minimum Wages Act, 1948**

**V. Inspection under The Shops and Establishments Act (as applicable)**

**VI. Inspection under The Labour Welfare Fund Act (as applicable)**

**VII. Inspection under The Payment of Bonus Act, 1965**

**VIII. Inspection under The Payment of Wages Act, 1936**

**IX. Inspection under The Payment of Gratuity Act, 1972**

**X. Inspection under The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970**

(Ref: <http://www.labour.bih.nic.in>)

# श्रम संसाधन विभाग

LABOUR RESOURCES DEPARTMENT, GOVT. OF BIHAR

Designed and Developed by  
NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna - 800 001.

Recruitment News | Directory | Notice Board | Tenders | Useful Links ::

### Site Index

- ✓ Home Page
- ✓ Office Setup
- ✓ Functions
- ✓ Acts & Rules
- ✓ Labour Wing
- ✓ Employment and Training
- ✓ E.S. Insurance
- ✓ Allotments
- ✓ Office Orders
- ✓ Circulars
- ✓ **Notifications**
- ✓ Proceedings
- ✓ Transfer Orders
- ✓ Sanction Orders
- ✓ Schemes
- ✓ Send Feedback
- ✓ Asset Declaration

Total Hits: 719428



Vijay Prakash  
Hon'ble Minister


### Introduction

Department of Labour Resources functions to facilitate the workers for minimum wages, equal wages for men and women, gratuity to employees in organised sector. Similarly there are certain welfare schemes for unorganised sector workers like Bihar Shatabdi Asangathit Kamgar/Shilpkar Samak, Suraksha Yojna Inter State Migrant Workers Accident Scheme, Bonded Labour Rehabilitation Scheme, Child Labour Rehabilitation Scheme

Department also facilitates conciliation between the management and workers under Industrial Dispute Act. Department has various ITIs for skill development and also has a wing namely Bihar Skill Development Mission as nodal organisation for skill development in the state of Bihar. Department has various Employment Exchanges as guidance centres to the unemployed youth as well as organizing Job Fairs.

### Key Contacts

- ✓ Dipak Kumar Singh, IAS, Secretary.  
Tel: (0612)-2213855. Fax: 2215004. Mobile: 94731-91436. E-Mail: [seclab-bih@nic.in](mailto:seclab-bih@nic.in)
- ✓ Md. Salim, IAS, Labour Commissioner. Tel: (0612)-2215559.  
Fax: 2215559. E-Mail: [lcbihar@gmail.com](mailto:lcbihar@gmail.com)
- ✓ Gopal Meena, IAS, Director, Employment & Training.  
Tel: (0612)-2215142. E-Mail: [detbihar@yahoo.co.in](mailto:detbihar@yahoo.co.in), [gopalmeena.official@gmail.com](mailto:gopalmeena.official@gmail.com)  
Website: Directorate of Employment & Training **NEW**
- ✓ Devnandan Yadav, Additional Secretary. Tel: (0612)-2215269.
- ✓ Akshay Kumar Singh, OSD. Mobile: 90248-55573, 0612-00271



Online e-Services available from - Labour Wing | Employment Wing **NEW**

### Latest updates ...

- Overseas Employment Bureau, Patna. - 22-12-2014.
- 6. Notification No. 18: Reg Posting & Joining of newly promoted Labour Superintendent in Bihar Labour Services (General) cadre. - 20-05-2014.
- 7 Notification No. 16: Retardation Postings &


## नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला 2016

### Useful Info

- Data Format for DET Bihar (Training Wing)
- e-Services - by Employment Wing
- nes - for Online Registration with Employment f
- Guidelines for LRD Form - Bihar State Portal
- Bihar Skill Development Mission.
- Bihar Public Grievance Redressal System
- Procedure for Opening of an I.T.I.
- Employee's State Insurance Corporation
- नियोजन मेला का जिलेवार/नियोजनवार ब्योरा, 2014-15
- विभाग द्वारा आम जनों के व्यक्तिगत लाभ हेतु चलाई जा रही योजनाओं की अहंता सम्बन्धी विवरणी.

### Downloads

- बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु के मामले में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र



Click on the [Description](#) to bring up related document details for viewing or local printing. You will also be given an option to either save the document on your system or to open it using [Acrobat Reader](#). To render **Hindi** text correctly, download and install fonts using the link given above.

SL	Date	Description
1.	01-03-2016	जापांक:243-247 श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) के पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के सम्बन्ध में.
2.	26-02-2016	जापांक:242 उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द किये जाने के सम्बन्ध में.
3.	26-02-2016	जापांक:241 प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द किये जाने के सम्बन्ध में.
4.	24-02-2016	जापांक:155 किसी भी कारखाना /औद्योगिक स्थापनाओं का विभिन्न श्रम अधिनियमों के अधीन लगातार दुबारा निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में.
5.	24-02-2016	जापांक:714-715 बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2016.
6.	22-02-2016	जापांक:229 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने के संबंध में.
7.	19-02-2016	जापांक:85 बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन ) (संशोधन) नियमावली 2016.
8.	19-02-2016	जापांक:228 श्री संजय कुमार सिन्हा, जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एव 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2016 तक कुल 31 दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में
9.	18-02-2016	जापांक:635-636 बिहार मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) नियमावली 2016.
10.	18-02-2016	जापांक:633-634 बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें ) (संशोधन) नियमावली 2016.
11.	18-02-2016	जापांक:631-632 बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली 2016.
12.	18-02-2016	जापांक:629-630 बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली 2016.
13.	18-02-2016	जापांक:627-628 बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली 2016.
14.	18-02-2016	जापांक:625-626 बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली 2016.
15.	18-02-2016	जापांक:621-622 बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली 2016.
16.	18-02-2016	जापांक:623-624 बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2016.
17.	17-02-2016	जापांक:227 श्रीमती पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर को दिनांक शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति एवं श्री अमरेन्द्र नारायण, श्रम अधीक्षक, (सामान्य ) औरगाबाद को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के संबंध में.
18.	16-02-2016	जापांक:225 श्री विपिन दत्त पाठक, पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में.
19.	10-02-2016	जापांक:526-527 श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनःस्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न माध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगो/स्थापनों का वर्गीकरण एवं निरीक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में.
20.	05-02-2016	जापांक:221 श्री प्रभाकर कुमार प्रभात, उप प्राचार्य औ० प्र० संस्थान, हथुआ गोपालगंज को अतिरिक्त प्रभार देने एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य दिए जाने के सम्बन्ध में.
21.	01-02-2016	जापांक:204 श्रीमती संगीता, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना स०- 890 दिनांक 19.01.16 के आलोक में अपर जिला एव सत्र न्यायालय, पटना के पद पर योगदान करने हेतु विरमित किये जाने के सम्बन्ध में.
22.	27-01-2016	जापांक:202 श्री कुमार प्रमोद नारायण सिंह श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक ) समस्तीपुर की 15 दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में.
23.	12-01-2016	Letter no 112 dated 12-01-2016.
24.	07-01-2016	जापांक:199 श्री नारायण प्रसाद कुंवर, श्रम अधीक्षक के पद पर सेवा संपुष्ट किये जाने के संबंध में।
25.	04-01-2016	जापांक:24 बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को सूचित करने के संबंध में.
26.	08-10-2015	Notification:3232-3233 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.
27.	08-10-2015	Notification:3230-3231 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.
28.	08-10-2015	Notification:3228-3229 Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments with effect from 01-10-2015.



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1937 (श10)

(सं0 पटना 176) पटना, वृहस्पतिवार, 25 फरवरी 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 61, दिनांक 25 फरवरी 2016— औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम व्यवसाय सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के अनुशरण में, किसी भी कारखाना / औद्योगिक स्थापनाओं का निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अधीन लगातार दुबारा निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किया जायेगा:-

- (i) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- (ii) कारखाना अधिनियम, 1948
- (iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (iv) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953
- (v) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- (vi) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- (vii) उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
- (viii) टेका मजदूर (वि0 एवं उ0) अधिनियम, 1970
- (ix) मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961

परंतु दुबारा निरीक्षण आवश्यक होने पर श्रमायुक्त, बिहार की पूर्वानुमति से उस निरीक्षक से जिसके द्वारा निरीक्षण किया गया है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा वांछित निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा:

परंतु और कि जैसे कारखाना प्रतिष्ठानों में, जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते हैं, उपरोक्त श्रम अधिनियमों की स्थानीय अधिकारिता के अधीन सभी निरीक्षकों द्वारा एकल संयुक्त निरीक्षण किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी किंतु ऐसे मामलों में (यथा दुर्घटना आदि) लागू नहीं होगी जहाँ सुसंगत अधिनियम के अधीन निरीक्षण एक नियत अवधि में अनिवार्य हो।

(सं0 1/एफ01-102/2016श्र0सं0-716)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,  
सरकार के अवर सचिव।

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 62, एस0ओ0 61, दिनांक 25 फरवरी 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

(सं0 1/एफ01-102/2016श्र0सं0-717)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,  
सरकार के अवर सचिव।

*The 24<sup>th</sup> February 2016*

S.O. 61, dated 25<sup>th</sup> February 2016— In pursuance of implementation of final Business Reforms Action Plan for 2015-16 received from the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Industry & Commerce, Government of India, no continuous second inspection of any factory/Industrial Establishment will be made by the same inspector **under the following Labour Acts:-**

- I. **The Equal Remuneration Act, 1976**
- II. **The Factories Act, 1948**
- III. **The Minimum Wages Act, 1948**
- IV. **The Shops and Establishment Act, 1953**
- V. **The Payment of Bonus Act, 1965**
- VI. **The Payment of Wages Act, 1936**
- VII. **The Payment of Gratuity Act, 1972**
- VIII. **The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970**
- IX. **The Maternity Benefit Act, 1961**

Provided that if the inspection is required, an official senior to the inspector concerned who had carried out the inspection earlier, will perform the necessary inspection with the prior permission of the Labour Commissioner:

Provided further that in **case of factories / industrial establishments employing 10 or more workmen, a single joint inspection may be carried out by the inspectors under their local authorities for the inspectors under their local authorities for the above mentioned Acts.**

3. This notification will come in to force from the date of issue but will not be applicable to such cases (such as accidents etc.) where it is compulsory to conduct the inspection within a stipulated time period under the relevant Act.

(No. 1/F1-102/2016L&R—716)  
By order of the Governor of Bihar,  
AMARENDRA NARAYAN MISHRA,  
*Under Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>